प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 18.02.2025

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय इटावा द्वारा हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों को सुनायी गयी आजीवन कारावास की सजा एवं क्रमश 35,000 तथा 25,000/- रूपये का दिया गया अर्थदण्ड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के नेतृत्व में थाना कोतवाली, मानीटरिंग सैल/सम्मन सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये मा0 न्यायालय द्वारा हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी एवं क्रमशः 35,000 तथा 25,000/- रूपये का अर्थदण्ड दिया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 04.09.2016 को वादी रवि पुत्र अर्जुन निवासी मो0 करौल थाना कोतवाली जनपद इटावा ने थाना कोतवाली पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के भाई राजा की गोली मारकर हत्या कर देने के संबंध मे तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर **मु0अ0सं0 605/16 धारा 302 भादवि** पंजीकृत किया गया। आलाकत्ल तमंचा बरामदगी के संबंध मे दिनांक 12.09.2016 को थाना कोतवाली पर **मु0अ0सं0 622/16 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अनस पुत्र शाबिर उर्फ शब्बू** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा उक्त अभियोग के संबंध मे अभियुक्त को दण्डित कराये जाने हेतु प्रभावी पैरवी करते हुये अभियोजन के सभी गवाहों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अविलंब गवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना कोतवाली पुलिस टीम, पैरोकार का0 अक्षय मोदी एवं मानीटरिंग/सम्मन सैल टीम व एडीजीसी श्री देवेन्द्र सिंह तिवारी द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 18.02.2025 को मा0 न्यायालय ADJ- 9 इटावा द्वारा उक्त अभियोगों से संबंधित अभियुक्तगण **अनस पुत्र शाबिर उर्फ शब्बू** को अन्तर्गत **धारा 302/34 भादवि तथा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट** में **आजीवन कारावास एवं 35,000/- रुपये के अर्थदण्ड** तथा अभियुक्त **इमरान पुत्र शाबिर उर्फ शब्बू** को अन्तर्गत धारा 302/34 भादवि मे **आजवीन कारावास तथा 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **अनस पुत्र शाबिर उर्फ शब्बू निवासी मौ0 करौल थाना कोतवाली जनपद इटावा ।**
2. **इमरान पुत्र शाबिर उर्फ कल्लू निवासी घटिया अजमत अली थाना कोतवाली जनपद इटावा।**